

ई-डिस्ट्रिक्ट के जनसंघ सेवा



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला: **सम्भल**
तहसील: **सम्भल**
आवेदन नं०: **222050030027705**
प्रमाणपत्र नं०: **754223006488**

जारी दिनांक: 02/08/2022

प्रमाणित किया जाता है कि:
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

प्रिया/Priya
राज कुमार
सविता
0, राजाजी सराय मुरादाबाद रोड
सम्भल
सम्भल



उत्तर प्रदेश राज्य की मैत्री जाति के व्यक्ति हैं। वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। वह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रिया/Priya पुत्र/पुत्री अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2004 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्गों की अवधि के निचे सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास घात कर अधिनियम 1993 में बचा बिहार छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: कमल हसन, आईआई सीपाल जन सेवा केंद्र
पद: कमल हसन, केन्द्र प्रभारी
स्थान: 6, Sambhal (MB) - Ward
No. 6, सम्भल, सम्भल, सम्भल
दिनांक: 10/08/2022
हस्ताक्षर एवं मुहर

MANOJ
KUMAR
SINGH

Digitally Signed by
MANOJ KUMAR SINGH
CHIEF OF
REVENUE UP
SUBOFFICE, ZILA
MAJISTRATE, S-Unit
Prabhat

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सम्भल, सम्भल
दिनांक: 02/08/2022

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा हैबत किया गया है तथा डिजिटल सिस्टम से हस्ताक्षरित है। सम्पत्ति केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका चढ़ाने आवेदन नं० और प्रमाणपत्र नं० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।